(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1305-दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-4-2017 - पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा - प्रकरण कमांक 26 अ-27/2016-17 अपील

1- उमेश कुमार 2- मनीशकुमार पुत्रगण जर्नादन प्रसाद मिश्रा
दोनों ग्राम कोलगढ़ सोमरी कलॉ तहसील मनगवां
हाल निवासी पी.के.स्कूल के पीछे उर्रहट
बार्ड 16 रीवा तहसील हुजूर
3- जर्नादन प्रसाद मिश्रा पुत्र रामखेलावन
ग्राम कोलगढ सेमरी कला तहसील मनगवां जिला रीवा ——आवेदकगण

विरूद्ध

1- त्रिभुवन प्रसाद पुत्र रामखेलावन मिश्रा
2- देवदत्त पुत्र रामखेलावन मिश्रा
3- शंकरदत्त पुत्र रामखेलावन मिश्रा
4- गणेशदत्त पुत्र रामखेलावन मिश्रा
निवासी पी.के.स्कूल के पीछे उर्रहट
बार्ड 16 रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 20-03-2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 26 अ-27/16-17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-4-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदकगण ने तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 354 अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23-7-2016 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 26 अ-27/16-17 अपील पर पॅजीबद्ध की गई। सुनवाई के दौरान आवेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनकी प्रतियॉ आवेदकगण को प्रदान कराई गई तथा अनावेदकगण हितबद्ध हैं अथवा नहीं एंव उन्हें पक्षकार बनाया जाना है अथवा नहीं - तथ्यों पर सुनवाई की जाकर अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 18-4-17 पारित किया तथा निर्णीत किया कि वाद विचारित भूमि उनके पिता व्दारा खरीदी गई भूमि प्रतीत होती है जिससे वह हितबद्ध हैं एंव प्रकरण धारा-5 के आवेदन पर जवाव हेतु नियत कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के इसी अंतरिम आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों क़े तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 26 अ-27/16-17 अपील में अनावेदकगण व्दारा हितबद्ध पक्षकार बनाये जाने हेतु दिये गये आवेदन के तथ्यों एंव उनके व्दारा प्रस्तुत अभिलेख की सूची के अवलोकन से परिलक्षित है कि हितबद्ध पक्षकार बनाये जाने के पुष्टिकरण में उन्होंने निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं :-

1. संपत्ति कर अधिकारी नगरपालिक निगम रीवा को पेश आवेदन
2. कर निर्धारण अधिकारी नगरनिगम रीवा को दिया गया आवेदन
3. नगरपालिक निगम रीवा व्दारा दिया गया पत्र
4. शपथ पत्र रामखेलावन मिश्रा
5. नगरनिगम रीवा में संपत्ति कर जमा करने की रसीद वर्ष-वाईज कुल 6

उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने पाया है कि प्रचलित मामले में विचारित संपत्ति से अनावेदकगण हितबद्ध है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 18-4-17 से अनावेदकगण को हितबद्ध पक्षकार माना है तथा प्रकरण अवधि विधान की धारा-5 की सुनवाई हेतु आगे नियत किया है। फलतः अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 18-4-17 के परीक्षण पर किसी प्रकार की अनियमितता करना परिलक्षित नहीं है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 18-4-17 हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 26 अ-27/16-17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-4-17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर